<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 213/2016

1 रूड़ाराम उर्फ रूड़मल पुत्र मनसाराम।
1/1 शीशराम पुत्र रूड़ाराम।
1/2 ताराचन्द पुत्र रूड़ाराम।
1/3 मनफूल पुत्र रूड़ाराम समस्त जाति माली निवासीगण बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
1/4 विमला पुत्री रूड़ाराम।
1/5 छोटी देवी पुत्री रूड़ाराम समस्त जाति माली निवासीगण गोल्याणा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
1/6 मल्ली देवी पुत्री रूड़ाराम पत्नी भगवानाराम।
1/7 मुन्नी देवी पुत्री रूड़ाराम पत्नी लीलाराम समस्त जाति माली निवासीगण जादू वाली कोठी गांव ढ़ाणा पोस्ट सिंघाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मिश्रो देवी पुत्री झण्डुराम उर्फ झांडियाराम पत्नी प्रभुदयाल।
2 तीजा देवी पुत्री झण्डुराम उर्फ झांडियाराम पत्नी लक्ष्मीनारायण समस्त जाति माली निवासीगण नानू वाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 माली देवी पुत्री झण्डुराम उर्फ झांडियाराम पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 05 विजय कॉलोनी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 ग्यारसी देवी पुत्री झण्डुराम उर्फ झांडियाराम पत्नी मोहन सिंह जाति माली निवासी मुंडरी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 रमेश कुमार पुत्र झण्डुराम उर्फ झांडियाराम।
6 सुरेश कुमार पुत्र मंगलचन्द।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

7 अशोक कुमार पुत्र मंगलचंद।
8 पतासी देवी पत्नी मंगलचन्द।
9 रामा देवी पत्नी झण्डुराम उर्फ झाडियाराम।
10 सोनी देवी बेवा मूलाराम।
11 नाथूराम पुत्र मूलाराम।
12 मालीराम पुत्र मूलाराम।
13 घीसाराम पुत्र मूलाराम।
14 प्रहलाद पुत्र मूलाराम।
15 पुरूषोतम पुत्र मनोहरलाल।
16 राजूराम पुत्र मनोहरलाल समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी बावड़ी तन बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
17 उप पंजियक खेतड़ी जिला झुंझुनू।
18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2015
द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी उनवानी
मिश्रो देवी वगैरह बनाम रमेशचन्द्र वगैरह दावा बाबत
घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 190/2015

अपील संख्या 216/2016

1 रूड़ाराम उर्फ रूड़मल पुत्र मनसाराम।
1/1 शीशराम पुत्र रूड़ाराम।
1/2 ताराचन्द पुत्र रूड़ाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

1/3 मनफूल पुत्र रूड़ाराम समस्त जाति माली निवासीगण बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
1/4 विमला पुत्री रूड़ाराम।
1/5 छोटी देवी पुत्री रूड़ाराम समस्त जाति माली निवासीगण गोल्याणा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
1/6 मल्ली देवी पुत्री रूड़ाराम पत्नी भगवानाराम।
1/7 मुन्नी देवी पुत्री रूड़ाराम पत्नी लीलाराम समस्त जाति माली निवासीगण जादू वाली कोठी गांव ढ़ाणा पोस्ट सिंघाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मिश्रो देवी पुत्री झण्डुराम उर्फ झांडियाराम पत्नी प्रभुदयाल।
2 तीजा देवी पुत्री झण्डुराम उर्फ झांडियाराम पत्नी लक्ष्मीनारायण समस्त जाति माली निवासीगण नानू वाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 माली देवी पुत्री झण्डुराम उर्फ झांडियाराम पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 05 विजय कॉलोनी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 ग्यारसी देवी पुत्री झण्डुराम उर्फ झांडियाराम पत्नी मोहन सिंह जाति माली निवासी मुंडरी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 रमेश कुमार पुत्र झण्डुराम उर्फ झांडियाराम।
6 सुरेश कुमार पुत्र मंगलचन्द।
7 अशोक कुमार पुत्र मंगलचंद।
8 पतासी देवी पत्नी मंगलचन्द।
9 रामा देवी पत्नी झण्डुराम उर्फ झाडियाराम।
10 सोनी देवी बेवा मूलाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

11 नाथूराम पुत्र मूलाराम।
12 मालीराम पुत्र मूलाराम।
13 घीसाराम पुत्र मूलाराम।
14 प्रहलाद पुत्र मूलाराम।
15 पुरूषोतम पुत्र मनोहरलाल।
16 राजूराम पुत्र मनोहरलाल समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी बावड़ी तन बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
17 उप पंजियक खेतड़ी जिला झुंझुनू।
18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2016
द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी उनवानी
मिश्रो देवी वगैरह बनाम रमेशचन्द्र वगैरह दावा बाबत
घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 190/2015

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेदराज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बाबूलाल मील, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 06.01.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 190/2015 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2015 व 31.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एंव पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के द्वारा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद बाबत भूमि खसरा नम्बर 444 से 447 वाके ग्राम बबाई तहसील खेतड़ी हाल खसरा नम्बर 492,493,494,497 बाबत प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 6 से 10 की ओर से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में दिनांक 26.11.2015 को वाद वादी अदम हाजरी में खारिज किया गया। दिनांक 11.12.2015 को विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी नानूराम के आवेदन पर काउन्टर क्लेम को पुन नम्बर पर लेकर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से डिक्री किया गया। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं 11 से 15 की सुनवाई किये बिना दिनांक 11.12. 2015 को काउन्टर क्लेम को पुन नम्बर पर लिया गया है। इस सन्दर्भ में अपीलांट को कभी भी सुचित नही किया गया है। विचाराधीन निर्णय में बंटवारे की डिक्री दी गई है जबकि काउन्टर क्लेम में बंटवारे का अनुतोष ही नही चाहा गया था। विवादित भूमि के सन्दर्भ में अपीलांट का दावा संख्या 200/2011 विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2014 को दावा डिक्री किया जा चुका है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में इस निर्णय दिनांक 19.06. 2014 के विरूद्व आर.ए.ए. कोर्ट लम्बित अपील की आदेशिका एवं अपील मेमो भी संलग्न है। विचारण न्यायालय द्वारा इसके उपरान्त भी विचाराधीन निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

में इसका कोई विवेचन नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। अपीलांट ने मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं 11 से 15 की सुनवाई किये बिना दिनांक 11.12.2015 को काउन्टर क्लेम को पुन नम्बर पर लिया गया है। इस सन्दर्भ में अपीलांट को कभी भी सुचित नही किया गया है। विचाराधीन निर्णय में बंटवारे की डिक्री दी गई है जबकि काउन्टर क्लेम में बंटवारे का अनुतोष ही नही चाहा गया था। विवादित भूमि के सन्दर्भ में अपीलांट का दावा संख्या 200/2011 विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2014 को दावा डिक्री किया जा चुका है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में इस निर्णय दिनांक 19.06.2014 के विरूद्व आर.ए.ए. कोर्ट लम्बित अपील की आदेशिका एवं अपील मेमो भी संलग्न है। विचारण न्यायालय द्वारा इसके उपरान्त भी विचाराधीन निर्णय में इसका कोई विवेचन नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 व 11 से 15 को विधिवत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नोटिस जारी कर बाद सुनवाई प्रति दावा को नम्बर पर लेने की कार्यवाही करें। तत्पश्चात उपस्थित पक्षकारान को विधि अनुसार साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06-01-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर